न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 23/2015

1. बलवीर कौर
2. राज कौर
3. दलवीर कौर
4. सुखविन्द्र कौर
5. जोगिन्द्र कौर

पुत्रीयान इन्द्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थीगण

बनाम

1. रणजीत कौर बेवा पूर्णसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति मजहबी सिख निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कुलवन्तसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति मजहबी सिख निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. प्रतापसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति मजहबी सिख निवासी गांव मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। —— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 17.12.2014

उपस्थितः—

श्री राजकुमार नागपाल अभिभाषक अपीलांट

श्री हंसराज तनेजा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 व 2

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश एक दावा पेश कर दावे के साथ धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि ताफैसला दावा अस्थाई

19/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निषेधाज्ञा खिाफ अप्रार्थी इस अमर की की जावे कि वह चक 15 एफ बडा के खाता सं. 64/58 के मु.नं. 24 के कि.नं. 1 ता 5, 16 ता 20, कि.नं. 8, 12, 21, 6, 23, 25 की कुल 16 बीघा के हमारे कब्जा काश्त, वारी पानी उपयोग में बाधा डालने, जबरन खुद अथवा किसी अन्य की सहायता से बेदखल करने से बाज व ममनू रहे। अप्रार्थीगण की ओर से प्रा.पत्र का जबाब पेश किया गया।

अधी.न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 17.12.2014 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.04.2012 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म करने के आदेश दिये। उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोंडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपरिमेय क्षति तीनों ही बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित नही कर पाये जबकि स्थगन आदेश में उक्त तीनों बिन्दुओं को साबित करना होता है। अतः अधी. न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दू पर गौर न कर रेस्पों. का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में धारा 212 आर.टी.एक्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 17.12.2014 के विरूद्ध पेश की है जिसमें दोनों पक्षों को मूल वाद के निर्णय तक

9/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रहन व बैय न करने के लिये पाबन्द किया है जो अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन सिद्धांतों का सही विवेचन नहीं करने से निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय से सम्बन्धित दावा राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 88, 91, 188, 92 के तहत पेश होना जाहिर किया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध सन्दर्भ जमाबन्दी ग्राम 15 एफ बडा संवत 2064–2067 के खाता सं. 64 पुराना 58 नया मु. नं. 24 की विवादित आराजी अमरसिंह वल्द झंडासिंह 1/2, इन्द्रसिंह वल्द अमरसिंह 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड राज है जो कस्टोडियन भूमि होना प्रतीत होती है जो पाक विस्थापितों को भारत में पुनर्वास हेतु आवंटन होकर भारत सरकार के साथ Agreement आधारित होकर सनद एवं खातेदारी दर्ज होना प्रकियाऐं निर्धारित है जो वर्तमान रेकार्ड में दर्ज अमरसिंह व इन्द्रसिंह दोनों की मृत्यु होना जाहिर किया है जो वारिसान के नाम devolve होने योग्य है। अतः यह विनिश्चय दावे में होना है जैसाकि अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचन किया है। अतः Multiplicity of litigation को Avoid करने के लिए अधी. न्यायालय द्वारा बेचान प्रतिबंध तो उचित प्रतीत होता हैं परन्तु रहन का प्रतिबन्ध उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों पक्षों को बेचान के लिए पाबन्द करना यथावत तथा रहन का प्रतिबन्ध हटाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर